सेवा में,

मानननीय लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश
विभूति खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ – 226010

विषयः धारा 2 (ब) के अंतर्गत भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति एवं संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के संबंध में शिकायत।

महोदय,

मैं, निम्न हस्ताक्षरी, लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत यह शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूँ–

1. **शिकायतकर्ता का नाम** : संजय कुमार
2. **पिता का नाम** : वीरसेन सिंह
3. (क) व्यवसाय : निजी/स्व–नियोजित
   (ख) क्या आप लोक सेवक हैं? : नहीं
   (ग) क्या शिकायत किसी अन्य की ओर से है? : नहीं
4. स्थायी पता (Aadhaar अनुसार) :
   संजय कुमार S/O वीरसेन, गली नं.–1, मोरना गांव,
   सेक्टर–35, नोएडा, जिलाः गौतम बुद्ध नगर,
   उत्तर प्रदेश – 201301
5. पत्राचार हेतु पताः
   संजय कुमार S/O वीरसेन, गली नं.–1, मोरना गांव,
   सेक्टर–35, नोएडा, जिला – गौतम बुद्ध नगर,
   उत्तर प्रदेश – 201301
6. **शिकायत का विवरणः**

(1) **आरोपी अधिकारी का विवरणः**
डॉ. दीपा सिंह,
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO),
जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश

(2) **शिकायत उत्पन्न होने की अवधिः**
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2026 तक

(3) **देरी का कारणः**
वित्तीय अभिलेखों एवं बैंक खातों के विवरण क्रमशः उपलब्ध होने तथा तथ्यों के संकलन में समय लगने के कारण

(4) **पूर्व में की गई शिकायतः**
दिनांक 13.02.2026 को निदेशक, एंटी करप्शन ऑर्गनाइजेशन (विजिलेंस), उत्तर प्रदेश लखनऊ को स्पीड पोस्ट द्वारा विस्तृत शिकायत प्रेषित की गई, जो विभाग द्वारा प्राप्त हो चुकी है, परंतु अब तक कोई स्पष्ट कार्यवाही दृष्टिगत नहीं हुई है।

7. **शिकायत का प्रकारः**
   आरोप (Allegation) – धारा 2(ब)
8. **सुरक्षा जमा (Security Deposit):**
   SBI चालान संख्या : D-523838
   दिनांक : 28.04.2026

कार्यालय लोकायुक्त उत्तर प्रदेश
28/04/26

9. **शपथ पत्र देने वाले व्यक्तियों की सूचीः**
संजय कुमार

10. **अन्य गवाहः**
आवश्यकतानुसार संबंधित बैंक अधिकारी एवं अन्य व्यक्ति

11. **संलग्न दस्तावेजः**
1. SBI वेतन खाते का स्टेटमेंट
2. PNB खाते का स्टेटमेंट (₹21,72,000 नकद जमा)
3. ट्रेजरी चालान (Security Deposit) की प्रति
4. शपथ पत्र (Affidavit)

12. **शिकायत का पूर्ण विवरणः**

यह शिकायत जनहित में प्रस्तुत की जा रही है। आरोपी डॉ. दीपा सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद रामपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति अर्जन एवं संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के संबंध में निम्न तथ्य प्रथम दृष्टया संज्ञान में आए हैं–

1. यह कि आरोपी अधिकारी को उपरोक्त अवधि (01.04.2024 से 31.03.2026) के दौरान कुल लगभग ₹57,39,000/– की वेतन आय प्राप्त हुई है। तथापि उक्त वेतन का समुचित उपयोग न करते हुए, विभिन्न खातों एवं निवेशों में धन का स्थानांतरण किया गया है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, आरोपी द्वारा लगभग ₹12,20,000/– की राशि Yes Bank में स्थानांतरित की गई है तथा लगभग ₹6,00,000/– की राशि क्षितिजा (Kshitija) के खाते में स्थानांतरित की गई है। इसके अतिरिक्त लगभग ₹2,50,000/– की राशि SBI Life Insurance में निवेश की गई है तथा लगभग ₹7,60,000/– की राशि मार्च माह में किसी अन्य खाते/व्यक्ति को स्थानांतरित की गई है।

इस प्रकार कुल लगभग ₹28,00,000/– की राशि विभिन्न माध्यमों से स्थानांतरित/निवेशित की गई है, जबकि वर्तमान में भी आरोपी के खाते में लगभग ₹25,00,000/– की राशि शेष पाई जाती है। इस प्रकार कुल उपलब्ध धनराशि (₹25,00,000/–+₹28,00,000/–) लगभग ₹53,00,000/– होती है, जबकि आरोपी को उपरोक्त अवधि में कुल वेतन आय ₹57,39,000/– प्राप्त हुई है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त गणना के अनुसार लगभग ₹3,00,000/– से अधिक राशि व्यक्तिगत/घरेलू व्यय में खर्च की गई प्रतीत होती है, तथापि यह स्पष्ट नहीं है कि दो वर्षों की समस्त जीवन–यापन व्यय (रहना, भोजन, परिवहन आदि) उक्त सीमित राशि में कैसे संभव हुआ।

अतः उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा वेतन आय के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से धन का उपयोग किया गया है, जिसका कोई स्पष्ट एवं वैध स्रोत परिलक्षित नहीं होता, जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों एवं आय से अधिक संपत्ति अर्जन की ओर संकेत करता है।

2. पंजाब नेशनल बैंक खाते में दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2026 के मध्य लगभग ₹21,72,000 की महत्वपूर्ण नकद जमा पाई गई है, जिसके संबंध में अब तक कोई स्पष्ट एवं प्रमाणित वैध स्रोत उपलब्ध नहीं है।

3. उक्त अधिकारी ने पद पर रहते हुए पिछले पांच वर्षों में गाजियाबाद में एक दुकान (कीमत लगभग 01 करोड़ रूपये) व एक फ्लैट (कीमत लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये) व देहरादून में एक निजी मकान जिसकी कीमत लगभग 85 लाख रूपये है तथा मेरठ के पल्लवपुरम में एक कोठी (कीमत लगभग 04 करोड़ रूपये) की अकूत सम्पत्ति इकट्ठा की है एवं इनके परिवार के पास 03 लक्जरी गाड़ियां भी हैं।

4. उक्त धनराशि का उपयोग गाजियाबाद स्थित वेव एलिगो परियोजना खाता UCHDPL में लगभग ₹ 78,00,000 के फ्लैट में निवेश हेतु किया गया है, जिसकी वैधता एवं स्रोत की पुष्टि आवश्यक है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अधिकारी द्वारा वेतन आय का उपयोग किए बिना समान अवधि में नकद जमा, संपत्ति निवेश एवं व्यक्तिगत खर्च किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि आय के अतिरिक्त स्रोतों से धन का उपयोग किया गया है।ष जिसकी निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

प्रार्थना:

1. प्रकरण की निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराई जाए
2. प्रथम दृष्टया आरोप स्थापित होने पर विधि अनुसार प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए
3. आरोपी के सभी बैंक खातों एवं वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच की जाए
4. आवश्यकतानुसार संबंधित खातों पर विधिक कार्यवाही (जैसे रोक/फ्रीज) की जाए
5. दोष सिद्ध होने पर विधि अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए

सत्यापन (Verification) :

मैं, संजय कुमार, यह सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शिकायत के बिंदु 1 से 12 तक दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं तथा इनमें कोई तथ्य असत्य या भ्रामक नहीं है।

दिनांक : 28.04.2026

स्थानः लखनऊ

संजय

(संजय कुमार)
मोबाइल– 9311073657